राष्ट्रीय सहारा 10 May 2011

गेहूं अधिप्राप्ति की प्रगति संतोषजनक नहीं : रजक

▶ औरंगाबाद के जिला प्रबंधक को निलंबित करने का निर्देश

पटना (एसएनबी)। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने कहा कि गेहूं अधिप्राप्ति की प्रगति संतोष जनक नहीं है। 10.50 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक मात्र 21 हजार मीट्रिक टन गेहूं की ही अधिप्राप्ति हुई है जो लक्ष्य से काफी कम है। उन्होंने आवश्यकता अनुसार क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाने, किसानों को समय पर भुगतान करने एवं बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का निर्देश दिया है।

श्री रजक सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में गेहूं अधिप्राप्ति एवं खाद्यान्न उठाव की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण औरंगाबाद के जिला प्रबंधक को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक और राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश देते हुए कहा कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से टैग किये हुए जिलों का पुनः नये सिरे से समीक्षा की जाये एवं नये रूप में टैगिंग किया जाये। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम हर हाल में निर्धारित मात्रा में निर्धारित तिथि तक गेहूं एवं चावल एक साथ राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराये ताकि बैकलॉग की समस्या न रहे। इसका कड़ाई से पालन किया जाये।

भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक डीएन गौतम ने कहा कि नालंदा, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, कटिहार, मुंगेर, शेखपुरा एवं बांका जिले में गेहूं की कमी के कारण राज्य खाद्य निगम को आवश्यकता अनुसार गेहूं की आपूर्ति नहीं की जा सकी।